रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

[No. 101] नई दिल्ली, बुधवार, जून 4, 1975/ज्येष्ठ 14, 1897

[No. 101] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 4, 1975/JYAISTHA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th June 1975

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for April 1975—March 1976.*

No. 40-ITC (PN)/75.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy(Red Book-Vol. II) for the period April 1975—March 1976,published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 21-ITC(PN)/75 dated 7-4-1975.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
1	21	Section I Para 44(1)(d)	Item (vi), namely, Polyester Fibre may be deleted.

2. The following entries may be made after Sl. No. V. 5 at page 224:—

1	2	3	4	5
V. 6	Polyester Fibre	See Col. 4	(i) DMT (1·08 Kgs. for 1 Kg. of polyester fibre). (ii) Mono Ethylene Clycol (0·4 Kg. for 1·0 Kg. of Polyester Fibre) (To be allowed within the overall permissible CIF value of Polyester fibre).	Direct export of this product will not qualify for import replenishment. This provision is intended only for the purpose of allowing nominations in favour of indigenous manufacturers and for such other benefits as may be available to such manufacturers for supplies made by them under approved arrangements.

3. The Import Policy for Registered Exporters for April 1975-March 1976 may be deemed to have been amended accordingly.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 जून, 1975

विषय:—अप्रैल 1975—मार्च 1976 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति।

सं० 40-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 21 आई०टी०सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 7 अप्रैल, 1975 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 2) में यथा पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

क्रम सं०	रेडबुक (वा० 2) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	21	खंड–1 पैरा 44(1) (घ)	मद (6) अर्थात्, पालिस्टर फाइबर हटाई जाए।

2 पृष्ठ 224 पर क्रम संख्या बी० 5 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएं :—

1	2	3	4	5
बी० 6	पौलिस्टर फाइबर	कालम 4 देखिये	(1) डी एम टी (एक किलोग्राम पोलिस्टर) फाइबर के लिए (1.08 कि०ग्रा०) (2) मोनो इथिलीन ग्लाइकोल (पालिस्टर फाइबर को 1.0 कि०ग्रा० के लिए 0.4 कि० ग्रा०) (पालिस्टर फाइबर के समस्त अनुमेय लागत—बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर अनुमित किए जाने के लिए)	इस उत्पाद का सीधे ही निर्यात, आयात प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं बनाएगा। केवल देसी विनिर्माण वस्तुओं के पक्ष में नामांकनों की अनुमति देने और अन्य ऐसे लाभ पहुंचाने से है जो ऐसे विनिर्माणकर्त्ताओं को अनुमोदित व्यवस्थाओं के अधीन अपने द्वारा किए गए संभरण के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

3. अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति तदनुसार संशोधित की गई समझी जाए।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975